प्रकरण संख्या 47/2015 सलीम मोहम्मद बनाम डूंगर के बजाय मनोज व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2020	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम सालिया में आराजी नंबर 1845/835 व 1846/842 किता 2 रकबा 6 बीघा भूमि स्थित है, जो जमाबन्दी में गुलाम हुसैन के नाम आवंटन होने से दर्ज हुई है। वादीगण गुलाम हुसैन के निकटतम वारिस होने से भूमियां वादीगण के नाम दर्ज हुई हैं एवं वादीगण काबिज हैं। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई हक अधिकार नहीं है, फिर भी वे खेत अपने नाम होना कहते हैं तथा जमीन छोड़ने को कहते हैं। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तरकरण संख्या 885 द्वारा अपना नाम अवैध रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वादीगण को विवादित आराजियात का खातेदार घोषित किया जाकर रेकार्ड से अवैध इन्द्राज हटाये जावें तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 30.07.2015 से वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 16.10.2015 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 से 1/4 की ओर से वकील श्री निलेश मेहता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 औपचारिक पक्षकार की ओर पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट द्वारा देरी के कारणों को अंकित करते हुए दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन सशपथ प्रस्तुत किया, जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।	

दौराने पर बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट अथवा उनके अधिवक्ता को नहीं दी तथा उसे बिना सुने निर्णय पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताया तथा अपील सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिवादी की साक्ष्य में चल रहा था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य हुए प्रकरण दिनांक 30.07.2017 को राजस्व कैम्प में रखकर वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जबकि पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा नहीं हुआ है एवं राजस्व कैम्पों में निर्णय राजीनामा अथवा सहमति के आधार पर किये जाने के प्रावधान हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाये बिना निर्णय पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 30.07.2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.03.2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 20.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.27 14:04:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: